न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 17 / 2017 निगरानी

1. राजेन्द्र पुत्र हरिनारायण जाति ब्राह्मण निवासी बीलका तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा ।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत बीछा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बीछा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. सचिव ग्राम पंचायत बीछा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

गैरनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 11.9.2017 ग्राम पंचायत बीछा जो कि निगरानीकार को जरिये नोटिस क्रमांक 140 पर भेजा गया है।

उपस्थिति : श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
: श्री गणपत शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 व 2।

–: निर्णय :– दिनांकः 9.10.2017

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि निगरानीकार ग्राम बीलका तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा की आबादी भूमि खसरा नं0 83 में लगभग 40–50 वर्षो पूर्व से ही अपने बुजुर्गान के समय से ही रह रहा है। उक्त आबादी भूमि खसरा नं0 83 में निगरानीकार का 10 बिस्वा भूमि पर छप्परपोश कच्चा घर बाडे आदि बने हुये है। उक्त भूखण्ड के पूर्व दिशा में कैलाश, बाबूलाल का मकान, पश्चिम दिशा में रोड व इसके पश्चात् ठाकुर जी का मन्दिर, उत्तर दिशा में रमेश, गोपाल का मकान एवं दक्षिण दिशा में शिवजी का मन्दिर है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी के लगभग 15 ट्राली पत्थर पूर्व से ही डले हुये है तथा निगरानीकार द्वारा उक्त पत्थरों से कच्चे घर को दुरूस्त कराया जाना प्रस्तावित है। आबादी भूमि में आने जाने के लिये कई रास्ते मौके पर मौजूद है परन्तु निगरानीकार को राजनैतिक रंजिश एवं ईर्ष्यालु लोगो द्वारा हैरान परेशान करने की गरज से उक्त भूखण्ड से जबरन बेदखल कर कब्जा करने का प्रयास कर गैर निगरानीकार से मिलकर झूठी शिकायतो के आधार पर ग्राम पंचायत बीछा के सरपंच द्वारा अविधिक नोटिस दिलवाये जा रहे है। इसी कडी में गैर निगरानीकार सं0 1 द्वारा निगरानीकार को एक नोटिस क्रमांक 140 दिनांक 11.9.2017 भिजवाया गया है जिसके विरूद्ध निगरानीकार द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा बहस के दौरान निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निगरानीकार वादग्रस्त भूखण्ड पर अरसा पूर्व से बजमाने बुर्जुगान से काबिज है जिसकी जानकारी आबादी में बसे हुये सभी वाशिंदो एवं को भली प्रकार से रही है। निगरानीकार एवं ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच के मध्य

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

राजनैतिक व चुनावी रंजिश होने के कारण निगरानीकार को उक्त नोटिस आबादी में बसे हुये कुछ व्यक्तियों के दबाव में आकर दिया गया है। जबकि उक्त पत्थर निगरानीकार द्वारा अपने भूखण्ड में स्थित जीर्णशीर्ण पुराने मकान को सही करने के लिये डलवा रखे है जो कि पश्चिम की और स्थित रोड से काफी दूर डले हुये है। गैर निगरानीकार सं0 1 द्वारा बिना किसी अधिकार क्षेत्र के निगरानीकार को दिया गया नोटिस दिनांक 11.9.2017 प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। अतः ग्राम पंचायत बीछा तहसील रामगढ पचवारा के सरपंच द्वारा निगरानीकार को जारी किया गया नोटिस क्रमांक 140 दिनांक 11.9.2017 निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान करे।

जवाब बहस में अधिवक्ता गैरनिगरानीकार सं0 1 व 2 द्वारा निवेदन किया कि निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत बीछा की आबादी भूमि पर पत्थर डालकर कब्जा करने की नीयत से अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही विधिवत की जा रही है। उक्त सम्बन्ध में निगरानीकार द्वारा सिविल न्यायालय में भी दावा पेश किया हुआ है। किन्तु सिविल न्यायालय द्वारा भी निगरानीकार को स्थगन आदेश नही दिया गया है। अतः जनहित में निगरानी खारिज की जाकर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि जो रास्ते के काम में आ रही है उक्त भूमि पर निगरानीकार द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटावाये जाने के आदेश फरमावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बीछा द्वारा निगरानीकार को नोटिस क्रमांक 140 दिनांक 11.9.2017 बाबत् आम रास्ते पर किये जा रहे अतिक्रमण को हटवाने हेतु जारी किया गया है। जिसमे ग्राम पंचायत द्वारा उक्त स्थान का कोई पट्टा अथवा अन्य कोई दस्तावेजात निगरानीकर्ता के पास हो तो ग्राम पंचायत कार्यालय में पेश करने हेतु लिखा गया है। किन्तु अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा स्वयं की भूमि पर ही उसके मकान को दुरूस्त करने हेतु पत्थर डलवाया जाना व्यक्त करते हुये रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया जाना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत बीछा द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 140 दिनांक 11.9.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत बीछा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रश्नगत आबादी भूमि खसरा नं0 83 में कथित अतिक्रमण के सन्दर्भ में तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा आबादी भूमि का एवं निगरानीकार के स्वामित्व की भूमि का सीमाज्ञान करवाया जावे। यदि रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण पाया जावे तो अतिक्रमी को नोटिस दिया जाकर अतिक्रमण हटवाने हेतु ग्राम पंचायत स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बीछा पंचायत समिति लालसोट को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 9.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा